

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 14 दिसम्बर, 2005/मार्गशीर्ष 23, 1927 (शक)

संख्या-118

**विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित निम्नलिखित संदेश उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि श्री शोएब इकबाल, माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 9.12.2005 को अप. 1445 बजे प्रथम बैरिकेड से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से 1645 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday, 14<sup>th</sup> December 2005/ 23<sup>rd</sup> Margshish 1927 (Saka)

No. 118

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, Central District, New Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Shoaib Iqbal, Hon'ble Dy Speaker, Delhi Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Ist Barricade at 1445 hrs. on 9.12.2005.

He was released at 1645 hrs. from P.S. Parliament Street, New Delhi on the same date."